डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :– 277 / 2023 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

मुकदमा संख्या :– 206 / 2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

राजेन्द्र कुमार पुत्र जसराम जाति कुम्हार निवासी दनियासर तहसील पल्लू हालनिवासी मोजगढ तहसील खुईया सरवर जिला फाजिल्का (पंजाब)।

–वादी

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र जसराम जाति कुम्हार निवासी दनियासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) पल्लू, जिला हनुमानगढ़।

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री अर्जुनलाल वर्मा वकील–वादी
पेरोकार राज–प्रतिवादी सं. 2

निर्णय दिनांक– 30/12/2024

यह राजस्व मुकद्दमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष श्री अर्जुनलाल वर्मा वकील वादी व पेरोकारराज तहसीलदार राजस्व रावतसर उपस्थिति में वाद वादी डिक्री करते हुए घोषणा कि जाती है कि रोही मौजा दनियासर के खसरा नं. 54 की 1.4670है0 बारानी व खसरा न0 55 की 4.8056 बारानी कुल 6.2726 है0 भूमि में दर्ज वादी का नाम लक्ष्मण पुत्र जसराम के स्थान पर राजेन्द्र कुमार पुत्र जसराम निवासी दनियासर हाल निवासी मोजगढ़ तहसील अबोहर दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 30/12/2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.01.02 19:01:59 IST
Reason: SelfAttested